



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277478
CG-DL-E-28102026-277478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5629]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 28, 2026/कार्तिक 6, 1948

No. 5629]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 28, 2026/KARTIKA 6, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2026

आयकर

का.आ. 5855(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 400 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा, यह अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय XIX के प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) द्वारा प्राप्त भुगतानों पर लागू नहीं होंगे। उपरोक्त अधिसूचना विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या का.आ. 3230 (अ) के साथ पठित संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्ति) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन है।

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 138/2026/फा. सं. 275/44/2026-आईटी(बी)]

राजेंद्र कुमार मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2026

INCOME-TAX

S.O. 5855(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 400 of the Income-tax Act, 2025 (30 of 2025), the Central Government hereby notifies that the provisions of Chapter XIX of the said Act shall not apply to payments received by International Rice Research Institute (IRRI). The above notification is subject to the conditions specified in the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) read with notification number S.O. 3230(E), dated the 3rd October, 2017, issued by the Ministry of External Affairs, Government of India.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 138/2026/F.No. 275/44/2026-IT(B)]

RAJENDRA KUMAR MEENA, Under Secy.